सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/SER-844/MP/19/2023-SSW** दिनांक: 02/05/2023

1. **श्री एम. जगदीश कुमार**
   चेयरमैन,
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
   बहादुर शाह जफर मार्ग,,
   नई दिल्ली-110002
   (Email: cm.ugc@nic.in)

2. **डॉ नीरजा ए गुप्ता**
   उप-कुलपति,
   सांची विश्वविद्यालय,
   सांची,
   जिला-रायसेन-464661, (मध्य प्रदेश)
   (Email: vc@subsis.edu.in)

विषय: **दैनिक भास्कर समाचार पत्र भोपाल संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "सांची यूनिवर्सिटी में भर्ती का गडबडझाला: आरक्षण में फेरबदल करने हिंदी को एप्लाइड हिंदी कर दिया, 9 अन्य विषयों के नाम भी बदले" के संबंध में।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने **दैनिक भास्कर समाचार पत्र भोपाल संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "सांची यूनिवर्सिटी में भर्ती का गडबडझाला: आरक्षण में फेरबदल करने हिंदी को एप्लाइड हिंदी कर दिया, 9 अन्य विषयों के नाम भी बदले"** की प्रति संलग्न में, आयोग ने स्वयं सज्ञांन लिया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **03 दिनों के भीतर** आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** भी जारी कर सकता है ।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव,
   मध्य प्रदेश शासन,
   राज भवन,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)
2. NIC, NCST(please upload on the website)